

वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 33  
लोक उद्यम विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	23.30	...	23.30	30.00	...	30.00	33.13	150.00	183.13	32.15	0.90	33.05
वसूलियां	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>23.27</b>	<b>...</b>	<b>23.27</b>	<b>30.00</b>	<b>...</b>	<b>30.00</b>	<b>33.13</b>	<b>150.00</b>	<b>183.13</b>	<b>32.15</b>	<b>0.90</b>	<b>33.05</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	16.51	...	16.51	21.45	...	21.45	25.11	150.00	175.11	22.24	0.90	23.14
2. वास्तविक वसूलियां	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>16.48</b>	<b>...</b>	<b>16.48</b>	<b>21.45</b>	<b>...</b>	<b>21.45</b>	<b>25.11</b>	<b>150.00</b>	<b>175.11</b>	<b>22.24</b>	<b>0.90</b>	<b>23.14</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उपयुक्त कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन												
3. परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना	2.26	...	2.26	3.40	...	3.40	2.87	...	2.87	3.40	...	3.40
4. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसईज़) और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों (एसएलपीज़) से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श (आरडीसी)	4.53	...	4.53	5.15	...	5.15	5.15	...	5.15	6.51	...	6.51
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>6.79</b>	<b>...</b>	<b>6.79</b>	<b>8.55</b>	<b>...</b>	<b>8.55</b>	<b>8.02</b>	<b>...</b>	<b>8.02</b>	<b>9.91</b>	<b>...</b>	<b>9.91</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>23.27</b>	<b>...</b>	<b>23.27</b>	<b>30.00</b>	<b>...</b>	<b>30.00</b>	<b>33.13</b>	<b>150.00</b>	<b>183.13</b>	<b>32.15</b>	<b>0.90</b>	<b>33.05</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. उद्योग	6.79	...	6.79	7.70	...	7.70	7.22	...	7.22	8.92	...	8.92
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	16.48	...	16.48	21.45	...	21.45	25.11	...	25.11	22.24	...	22.24
3. अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	150.00	150.00	...	...	...
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.90	0.90
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>23.27</b>	<b>...</b>	<b>23.27</b>	<b>29.15</b>	<b>...</b>	<b>29.15</b>	<b>32.33</b>	<b>150.00</b>	<b>182.33</b>	<b>31.16</b>	<b>0.90</b>	<b>32.06</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	0.85	...	0.85	0.80	...	0.80	0.99	...	0.99
जोड़-अन्य	...	...	...	0.85	...	0.85	0.80	...	0.80	0.99	...	0.99
कुल जोड़	23.27	...	23.27	30.00	...	30.00	33.13	150.00	183.13	32.15	0.90	33.05

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** (i) विभाग के सचिवालय, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न पीएसई के गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों के चयन हेतु खोज समिति के लिए व्यय हेतु धनराशि का प्रावधान करता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण और साथ ही साथ विकास, सॉफ्टवेयर के अनुरक्षण और कार्यालय परिसरों के आधुनिकीकरण शामिल है, के लिए धनराशि का प्रावधान करता है। (ii) विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी), एक कंपनी, जिसे गैर कोर परिसंपत्तियों, जिसमें मुख्यतया सरकार के मंत्रालयों / विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की अधिशेष भूमि शामिल है, को मुद्रीकृत करने के लिए स्थापित किया गया है, में इक्विटी निवेश के लिए प्रावधान करता है।

3. **परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना:** केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों/वीआरएस विकल्पधारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ)/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से प्रशिक्षण देने वालों को सहायता अनुदान के रूप में फंड प्रदान किया जाता है। इस स्कीम की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए भी फंड का उपयोग किया जाता है। परामर्शदाताओं के भुगतान सी. आर. आर. स्कीम से जुड़े हुए हैं।

4. **केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसईज़) और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों (एसएलपीज़) से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श (आरडीसी):** निधि का उपयोग (i) सम्मेलनों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के आयोजन तथा समझौता ज्ञापन एवं उस पर वार्ता तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सहित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के जेनेरिक मुद्दों पर विषय वस्तुगत अध्ययन/परामर्श करने, (ii) कौशल विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य उद्यमों के कार्यपालकों एवं कर्मचारियों तथा लोक उद्यम विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, (iii) गैर सरकारी निदेशकों पर विशेष जोर के साथ सीपीएसईज़ के बोर्डों में शामिल निदेशकों को प्रशिक्षण देना दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है, (iv) समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्यकलापों की प्रशासनिक एवं संभार तंत्र व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यय को दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है, (v) अंतर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) को अंशदान का भुगतान करने, (vi) आरडीसी स्कीम से जुड़े परामर्शदाताओं/प्रोग्रामरों आदि को भुगतान आरडीसी स्कीम से किया जाना प्रस्तावित किया गया है और (vii) सीपीएसईज़/एसएलपीईज़ के वार्षिक सर्वेक्षण के प्रकाशन के लिए है।